

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**  
**सू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**  
**506**  
**सू-अभिलेख-30/2021(खंड-2)**

पटना, दिनांक :- 18/01/2023

**आदेश**

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित सविदा पद पर विज्ञापन संख्या - 01/2019 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण सविदा पद पर निर्माकित कर्मियों का नियोजन कौलम - 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से करते हुए विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है :-

क्र०	पत्रांक दिनांक	आईडी0 संख्या	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई-मेल	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिलेखन
1	10681 01.09.2020	AEN02785	श्री जितेन्द्र कुमार राम	श्री शम्भु नाथ राम	प० चमारगण (बेतिया)	AJAY KUMAR C/O LT RAMESHWAR RAM NEW ENGLISH WARD NO 16 BARAHIYA BEHIND NEW NAGARPALIKA, Lakhisarai	Angad7377@gmail.com	South West University, Maharashtra	10	11
2		AEN02793	श्री विककी कुमार राम	श्री शम्भु नाथ राम		AJAY KUMAR C/O LT RAMESHWAR RAM NEW ENGLISH WARD NO 16 BARAHIYA BEHIND NEW NAGARPALIKA, Lakhisarai	vk422366@gmail.com			विश्वविद्यालय के ई-मेल से प्राप्त सूचना के आलोक में ऑनलाईन सत्यापन में Enrolment Number Invalid पाया गया है।
3	11364 02.12.2020	AEN04586	श्री संतोष कुमार पंडित	श्री रामदास पंडित	लखीसराय	VILL- BARNI PO- BARNI PS- DHANARUA, Jehanabad	santoshkadam890@gmail.com			

उपरोक्त सविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिल्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया था। स्तम्भ संख्या - 10 में विश्वविद्यालय के ई-मेल से प्राप्त सूचना के आलोक में उपरोक्त सविदा कर्मियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर किया गया। स्तम्भ संख्या - 11 में वेबसाइट पर प्रदर्शित सत्यापन सूचना के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त सविदा कर्मियों से फर्जी "डिल्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध निदेशालय पत्रांक 4460 दिनांक 12.12.2022 एवं पत्रांक 4461 दिनांक 12.12.2022 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संबंधित कर्मियों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर निर्धारित अवधि में समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि स्तम्भ-11 में अंकित सत्यापन सूचना के संबंध में इनको कुछ नहीं कहना है। साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कर्मियों गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में ऑनलाईन से प्राप्त सत्यापन प्रतिलेखन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कड़िका - 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)  
निदेशक, परिमाण एवं  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक - 18/01/2023

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिसमाप

18/01/2023

पटना, दिनांक -

ज्ञापार्क - 01 / भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30 / 2021(खंड-2) 506

प्रतिलिपि :- विवरणी में अंकित सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय एवं पंचम्यारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्देशित किया जाता है कि :-

1. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित उपरोक्त सभी कर्मियों से अब तक भुगतान की गयी राशि की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।
2. उपरोक्त कर्मियों पर फर्जी कागजातों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिसमाप

18/01/2023

पटना, दिनांक -

ज्ञापार्क - 01 / भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30 / 2021(खंड-2) 506

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिसमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिसमाप

18/01/2023